श्री निशान्त वर्मा (भा0व0से0), मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा दिनांक 04–06–2023 को जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत प्रस्तावित थलगड़ – डाडों मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.8235 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर निरीक्षण आख्या :–

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 04–06–2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री नवल किशोर नेगी, वन क्षेत्राधिकारी, नागनाथ रेंज, श्री केशव लाल, उपराजिक, जाखमाला अनुभाग, श्री वीरेन्द्र सिंह नेगी, वन दरोगा एवं श्री कृष्ण कुमार, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी, श्री सुभाष कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री बृजमोहन रावत, सुपरवाइजर, मौके पर उपस्थित रहे। मोटर मार्ग के स्थलीय निरीक्षण से पहले मार्ग का मानचित्र एवं उससे लाभान्वित होने वाली स्थानिय ग्रामीण, स्कूल, हॉस्पिटल आदि का अध्ययन किया गया :–

वैकल्पिक संरेखण का निरीक्षण :–

1. इस संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अधिक है।
2. इस संरेखण में अधिक संख्या में बांज वृक्षों का पातन हो रहा है।
3. इस संरेखण में अधिक वन भूमि प्रभावित हो रही है।
4. इस संरेखण में लाभान्वित होने वाली बसावट कम है।

प्रस्तावित संरेखण का निरीक्षण :–

1. प्रस्तावित संरेखण में विभिन्न व्यास वर्ग में बांज के 169 वृक्ष एवं अन्य प्रजातियों के 461 वृक्षों सहित कुल 630 वृक्ष प्रभावित हो रहे है।
2. इस संरेखण से ग्राम थलगड़ – डाडों के ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा होगी।
3. यह संरेखण भू–वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है।

अतः इस मोटर मार्ग के स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर अग्रेत्तर कार्यवाही के निर्देश के साथ प्रश्नगत प्रस्ताव की संस्तुति की जा रही है।

1. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के किसी भी प्राविधानों का उल्लंघन न होने पाये।
2. सभी प्रकार की स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात मोटर मार्ग निर्माण के लिये पातन हेतु चिन्हित होने पर भी आवश्यकतानुसार ही वृक्षों का पातन किया जाय और इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसी अन्य वृक्ष को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचने पाये।
3. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान उत्सर्जित मिट्टी एवं अन्य मलवे को निर्धारित मक डिस्पोज क्षेत्र में ही निस्तारित किया जाय।

4. इस मोटर मार्ग निर्माण में बांज के 169 वृक्ष (विभिन्न व्यास वर्ग) के प्रभावित हो रहे है। यह भी उल्लेखनीय है कि बांज वृक्षों का वन क्षेत्रों में होना ग्राउण्ड वाटर रिर्चाज एवं जल संग्रहण के लिए महत्वपूर्ण है। अतः इनके कटने से स्थानीय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है, परन्तु इस पर्यावरणीय क्षति को न्यून करने हेतु निम्न सुझाव दिये जाते हैं :–

(अ)– प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण में अधिक से अधिक बांज पौधों का रोपण किया जाय।

(ब)– क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अतिरिक्त प्रस्तावित वन भूमि जिसका हस्तान्तरण किया जाना है के आस–पास के रिक्त स्थानों पर पातित होने वाले वृक्षों के 10 गुना बांज पौधों का रोपण प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जाय।

5. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि मार्ग निर्माण के दौरान श्रमिकों के लापरवाही से आसपास के वन क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना घटित न होने पाये।

6. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु रखे गये मजदूरों द्वारा किसी भी वन्यजीवों का आखेट न होने पाये। ऐसा होने पर कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व विधिक कार्यवाही की जा सकती है। मोटर मार्ग निर्माण के दौरान वन क्षेत्र में श्रमिकों का कैम्प नहीं लगाये जाएगें एवं किसी श्रमिक के द्वारा भोजन पकाने हेतु आसपास के वनों से जलौनी लकड़ी एकत्रित नहीं किया जायेगा।

05/06/23

(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/निदेशक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

पत्रांक 2801 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।

2:– उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

3:– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पोखरी।

05/06/23

(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/निदेशक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

भाग–3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत प्रस्तावित थलगड़ – डाडों मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.8235 है0 वन भूमि हस्तान्तरण

14	स्थल जहॉ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हॉ
15	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	इस प्रस्तावित मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण दि0 04–06–2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री नव किशोर नेगी, वन क्षेत्राधिकारी, नागनाथ रेंज, श्री केशव लाल, उपराजिक, जाखमाला अनुभाग, श्री वीरेन्द्र सिंह नेगी, वन दरोगा एवं श्री कृष्ण कुमार, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी श्री सुभाष कुमार, सहायक अभियन्ता, श्री बृजमोहन रावत, सुपरवाइजर, मौके पर उपस्थित रहे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों को बचाने एवं उनकी संख्या न्यून करने के उद्देश्य से मौके पर इस मोटर मार्ग का अन्य वैकल्पिक संरेखण उपयुक्त नहीं पाया गया। प्रस्ताव में संलग्न भारत सरकार के प्रपत्र भाग–2 में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा दी गयी टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं। अतः उक्त वर्णित मोटर मार्ग निर्माण के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं स्थानीय वृक्ष प्रभावित न होने पाये तथा निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण सावधानी पूर्वक निर्धारित स्थान (डम्पिंग साईट) पर किया जाय। प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण में अधिक से अधिक बांज पौधों का रोपण किया जाय तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अतिरिक्त प्रस्तावित वन भूमि जिसका स्थानान्तरण किया जाना है, के आस–पास के रिक्त स्थानों पर पातित होने वाले वृक्षों के 10 गुना बांज पौधों का रोपण प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जाय। साथ ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं इसके अतिरिक्त जारी वन संरक्षण अधिनियम नियमों का प्रस्तावक विभाग द्वारा अक्षरशः अनुपालन किया जाए। उक्तानुसार अनुपालन उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर सुनिश्चित करेंगे।

तिथि 05.06.23

स्थान– गोपेश्वर।

05/06/23

(निशान्त वर्मा)

मुख्य वन संरक्षक/निदेशक,

नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

प्रारूप – 22

परियोजना का नाम :– जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत प्रस्तावित थलगड़ – डाडों मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.8235 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक **04–06–2023** को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :–

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्टमेन्ट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग									योग
					10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	
1.	आरक्षित वन	कं0 न0 23 A	बांज	Quercus leucotrichophora	13	02	01	–	01	–	–	–	–	17
2.	वन पंचायत				80	40	06	03	–	01	–	–	01	131
3.	नाप भूमि				11	07	03	–	–	–	–	–	–	21
योग :–					**104**	**49**	**10**	**03**	**01**	**01**	**–**	**–**	**01**	**169**

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बांज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

05/06/23

(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक / निदेशक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

आज दिनांक 04.06.2023 को जनपद चमोली के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी में थलगढ़–डाडौं मोटर मार्ग के प्रस्तावित समरेखण में आने वाले वृक्षों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी के सहायक अभियन्ता, श्री कृष्ण कुमार द्वारा मौके पर बताया गया कि समरेखण पर मौके पर 25–25 मीटर पर चिन्हित कटिंग एवं लेवल पिंलर लगाये गये हैं। निरीक्षण के दौरान सरेखण पर चिन्हित कुछ पिलर पाये गये एवं प्रभावित हो रहे वृक्षों के क्रमांक भी कुछ स्थानों पर देखे गये। समरेखण की चौड़ाई वनभूमि एवं नापभूमि में 7 मीटर में ली गयी है।

मौके पर मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी प्रभावित वृक्षों की स्पष्ट रूप से नम्बर हो एवं भारत सरकार MOEF & CC से स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व किसी भी प्रकार की रोड़ कटिंग व वृक्षों का पातान न होने पाये। इस नव निर्माण में वन पंचायत क्षेत्र– 1.5575 है0, आरक्षित भूमि– 0.21 है0, नापभूमि – 1.0325 है0 एवं मक डिस्पोजल (सिविल भूमि)– 0.056 है0 के विभिन्न पैचेज में प्रभावित हो रही है। मौके पर वन विभाग एवं निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी के निम्न अधिकारी/कर्मचारी मौके पर मौजूद रहें।

वनविभाग	लोक निर्माण विभाग
4/6/23	1– ई0 कृष्ण कुमार (सहायक अभि0) 04/06/23
मुख्य वन संरक्षक/निदेशक	2– कनि0 अभि0 जे.ई
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।	3– बृजमोहन रावत (सुपरवाइजर)
(मंगल सिंह ...) वन क्षेत्राधिकारी नागनाथ रेंज	
केशवानन्द उप वन क्षेत्राधिकारी ...	
धीरेन्द्र सिंह नेगी – वन दरोगा	
CCF / ... NDBR 4/6/23	